3 बीआर गबई आखरी कार्य दिवस पर हुए भावुक

5 विकास को संतुलित रूप से ले जा रहे आगे

6 नक्सली माओवाद गिनता अंतिम सांसें

RNI-MPBIL/2011/39805 DAVP/134083/25

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 16 अंक : 30 प्रति सोमवार, 1 दिसंबर 2025 मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

मध्यप्रदेश में कानून-व्यवस्था की बिगड़ती तस्वीर, मासूम के साथ दरिंदगी ने खड़े किए कई सवाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उद्योग विस्तार और प्रदेश विकास के नाम पर लूट रहे वाहवाही, लेकिन प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमराई

कवर स्टोरी

-विजया पाठक
एडिटर

मध्यप्रदेश एक बार फिर उस दर्दनाक घटना से दहल उठा है, जिसने न केवल समाज को झकझोर दिया, बल्कि प्रदेश की कानून-व्यवस्था की कमजोरियों को भी बेनकाब कर दिया। छह वर्ष की एक मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी ने हर संवेदनशील नागरिक को भीतर तक चोट दिया है। यह घटना सिर्फ अपराध की नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की विफलता की भी कहानी कहती है, जो नागरिकों विशेषकर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदार होती है। घटना के पांच दिन बाद, जब जनआक्रोश सड़क पर उतर आया, तब कहीं जाकर पुलिस ने आरोपी सलमान खान की खोजबीन तेज की। यह देरी अपने आप में एक बड़ा सवाल बनकर खड़ी हो गई है। क्या मध्यप्रदेश की कानून-व्यवस्था इतनी सुस्त हो चुकी है कि लोगों के दबाव के बिना वह हरकत में नहीं आती?

जनआक्रोश क्यों फूटा?

पिछले कुछ वर्षों में मध्यप्रदेश में महिलाओं और नाबालिगों के खिलाफ अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ा है। एनसीआरबी की हालिया रिपोर्ट इस चिंता को और गहरा करती है। रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में सबसे अधिक संख्या में 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियाँ छेड़छाड़ और दुष्कर्म जैसी घटनाओं की शिकार होती हैं। रिपोर्ट के अनुसार मध्यप्रदेश में 22,393, महाराष्ट्र, 22,390, उत्तर प्रदेश 18,852, राजस्थान 10577, बिहार 9906, असम 10174 और दिल्ली में कुल 7769 आपराधिक मामले दर्ज किये गये हैं। (शेष पेज 2 पर)

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मतदाता सूची की जांच प्रक्रिया (एसआईआर) पर उठाये सवाल

लोकतांत्रिक अधिकारों से समझौते की गंभीर आशंका और लोकतांत्रिक ढांचे के साथ खिलवाड़ है एसआईआर का फॉर्मूला

-विजया पाठक

मध्यप्रदेश जैसे विशाल और विविधतापूर्ण राज्य में मतदाता सूची का निर्माण केवल एक प्रशासनिक औपचारिकता नहीं, बल्कि लोकतंत्र की पूरी बुनियाद है। चुनावी प्रक्रिया की शुचिता और विश्वसनीयता इसी पर निर्भर करती है। ऐसे में जब निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार द्वारा मतदाता सूची की जांच, अर्थात एसआईआर (स्पेशल समरी रिविजन) प्रक्रिया को जल्दबाजी और आधी-अधूरी तैयारी के साथ लागू किया गया है तो यह न केवल चिंताजनक है बल्कि लोकतांत्रिक ढांचे के साथ खिलवाड़ भी प्रतीत होता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा सरकार द्वारा चुनाव आयोग के ऊपर दबावपूर्ण ढंग से करवाये जा रहे इस कार्य को पूरी तरह से निरर्थक और

लोकतांत्रिक ढांचे के साथ खिलवाड़ बताया है। कमलनाथ स्वयं एक वरिष्ठ राजनेता हैं और लंबे समय तक केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री जैसे जिम्मेदार पदों का निर्वहन कर चुके हैं। ऐसे में कमलनाथ द्वारा इस पूरी प्रक्रिया को कटघरे में खड़े कर देना साफ तौर पर इस बात की ओर इशारा करता है कि एसआईआर का यह फॉर्मूला पूरी तरह गलत है। यह कहना पूरी तरह सार्थक है कि एसआईआर प्रक्रिया जिस तरह प्रदेश में शुरू की गई है, उसने मतदाता सूची निर्माण की पूरी प्रक्रिया का मज़ाक बना दिया है। जिस कार्य के लिए महीनों की तैयारी, सुचारु समन्वय और पर्याप्त संसाधनों की आवश्यकता होती है, उसे केवल दिखावे की तत्परता में शुरू कर दिया गया है, जिसके परिणाम गंभीर रूप से प्रदेश के मतदाताओं के अधिकारों को प्रभावित कर सकते हैं।

मतदाताओं पर थोपी गई जिम्मेदारी

चुनाव आयोग मतदाता सूची के सत्यापन में 2003 को आधार वर्ष मानता है, लेकिन यहाँ स्थिति यह है कि बीएलओ 2003 की सूची माँगने पर मतदाताओं को ही इंटरनेट से खोजने को कह रहे हैं। । (शेष पेज 2 पर)

बस्तर में शांति, प्रेम, भाईचारा और स्थायी समृद्धि का वातावरण निर्मित हो रहा: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

37 माओवादियों ने हिंसा का मार्ग छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का लिया निर्णय

-विजया पाठक

छत्तीसगढ़ में अब तक 487 से अधिक नक्सली न्यूट्रलाइज, 1849 से ज्यादा गिरफ्तार, तथा 2250 से अधिक नक्सली आत्म समर्पण कर चुके हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह आंकड़े बदलते बस्तर और सरकार की नीतियों में बढ़ते विश्वास का स्पष्ट प्रमाण हैं। लगातार बढ़ते आत्मसमर्पण से बस्तर में नई सुबह की शुरुआत हुई है, जहाँ अब शांति, प्रेम, भाईचारा और स्थायी समृद्धि का वातावरण निर्मित हो रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की मानवीय, संवेदनशील और परिणाम-उन्मुख पुनर्वास नीति के तहत बस्तर में एक और महत्वपूर्ण सफलता दर्ज की गई। "पूना मारगेमः पुनर्वास से पुनर्जीवन" पहल के अंतर्गत 37 माओवादियों ने हिंसा का मार्ग छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का निर्णय लिया है। यह आत्म समर्पण न केवल व्यक्तिगत पुनर्जीवन की दिशा में कदम है, बल्कि बस्तर क्षेत्र में स्थायी शांति और विकास की दिशा में एक मजबूत संकेत है। (शेष पेज 6 पर)

लोकतांत्रिक अधिकारों से समझौते की गंभीर आशंका और लोकतांत्रिक ढांचे के साथ खिलवाड़ है एसआईआर का फॉर्मूला- पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ

(पेज 1 का शेष)

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के अनुसार मध्यप्रदेश एक व्यापक ग्रामीण आबादी वाला राज्य है, जहाँ आज भी बड़ी संख्या में लोग इंटरनेट तक सुचारु और सुलभ पहुँच नहीं रखते। ऐसे में मतदाताओं पर यह जिम्मेदारी डाल देना कि वे स्वयं इंटरनेट से 20 साल पुरानी सूची ढूँढें, सरासर अन्याय है। यह लोकतांत्रिक दायित्व का स्पष्ट उल्लंघन है, क्योंकि संविधान के अनुसार मतदाता बनाना और मतदाता सूची को सही एवं अद्यतन रखना चुनाव आयोग की प्राथमिक जिम्मेदारी है, मतदाताओं की नहीं।

संदेह और तुगलकी कदम है एसआईआर की शीघ्रता

इतने कम नोटिस पर और इतनी सीमित अवधि में एसआईआर प्रक्रिया शुरू करना एक ऐसा निर्णय है, जिसे कमलनाथ ने 'तुगलकी फ़रमान' की संज्ञा दी है। सामान्य परिस्थितियों में मतदाता सूची जांच के लिए विस्तृत समय, जनजागरण, संसाधन और प्रशासनिक समन्वय की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ ऐसा प्रतीत होता है। मानो किसी अदृश्य दबाव या संदेहास्पद मंशा के तहत यह कार्य तुरंत निपटाने की कोशिश की जा रही है। जब किसी प्रक्रिया को इतनी गैर-गंभीरता और लापरवाही से चलाया जाता है तो यह स्वाभाविक है कि जनता के मन में संदेह पैदा हो। क्या उद्देश्य केवल औपचारिकता पूरी करना है? क्या मतदाता सूची में छेड़छाड़ का रास्ता खोला जा रहा है? या फिर प्रशासनिक विफलताओं को छुपाने के लिए जल्दबाजी की आड़ ली जा रही है?

मतदाता सूची की विश्वसनीयता पर गहरा संकट

अगर इसी तरह एसआईआर प्रक्रिया चलाई गई तो यह निश्चित है कि मतदाता सूची न्यायपूर्ण और पारदर्शी तरीके से नहीं बन पाएगी। गलती से हटाए गए नामों को वापस जोड़ने की प्रक्रिया भी प्रभावित होगी। गलत नामांकन, दोहराव और बहिष्कार जैसे गंभीर दोष बढ़ेंगे, जिससे चुनाव की निष्पक्षता संदिग्ध बन जाएगी। सही मतदाताओं का नाम सूची से गायब होना या फर्जी नामों का बने रहना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। चुनाव की विश्वसनीयता मतदाता सूची की शुद्धता से ही बनती है। अगर सूची ही सही नहीं है, तो चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

वोट चोरी की आशंका और जनता के साथ अन्याय

कमलनाथ ने जिस तरह चेतावनी दी है कि इसके पीछे कहीं वोट चोरी का षड्यंत्र तो नहीं, यह सवाल आज लाखों मतदाताओं के मन में है। प्रशासनिक अव्यवस्था, आधे-अधूरे दस्तावेज़, उपलब्ध न कराई गई सूचियाँ और जल्दी में शुरू की गई प्रक्रिया ये सारे संकेत किसी गहरी साजिश के इशारे हो सकते हैं। यदि किसी भी प्रकार से मतदाता सूची के माध्यम से मताधिकार छीनने का प्रयास किया गया, तो यह सीधे-सीधे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। यह केवल मतदाताओं के साथ अन्याय नहीं, बल्कि लोकतंत्र पर हमला होगा। कांग्रेस और कमलनाथ का यह दावा उचित है कि यदि ऐसी किसी भी साजिश का प्रयास किया गया तो प्रदेश की जनता और कांग्रेस पार्टी दोनों ही हर स्तर पर संघर्ष के लिए तैयार हैं।

संविधान और आयोग की जिम्मेदारी

भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि हर नागरिक को मताधिकार का अवसर मिले और उसे सुनिश्चित करना चुनाव आयोग का दायित्व है। आयोग केवल कागजों पर नियम लिखकर मुक्त नहीं हो सकता। वास्तविक अमल जमीनी स्तर पर होना चाहिए और उसी से आयोग की विश्वसनीयता बनती है। आज सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि आयोग अपनी भूमिका को गंभीरता से निभाए, राज्य सरकार सभी संसाधन समय पर उपलब्ध कराए और मतदाता सूची की प्रक्रिया को पारदर्शी एवं व्यवस्थित तरीके से दोबारा प्रारंभ किया जाए।

बीएलओ की अनुपस्थिति और फॉर्म की कमी

12 राज्यों में 51 करोड़ से अधिक मतदाताओं के लिए किए जा रहे इस कार्य में देश में अब तक 25 बीएलओ की मृत्यु हो चुकी है। मध्यप्रदेश में ही तीन से अधिक बीएलओ की मौत हो चुकी है। काम की अधिकता, निश्चित समयावधि और कार्य का अतिरिक्त दबाव कर्मचारियों और बीएलओ की मौत का कारण है। लेकिन प्रदेश की मोहन सरकार और केंद्र की मोदी सरकार अब तक इस पूरे मामले में चुप्पी साधे बैठी हुई है।

मध्यप्रदेश में कानून-व्यवस्था की बिगड़ती तस्वीर, मासूम के साथ दरिंदगी ने खड़े किए कई सवाल

(पेज 1 का शेष)

ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि हर उस परिवार की पीड़ा का प्रतिबिंब हैं जिसने कानून-व्यवस्था की कमजोरी का दंश झेला है। जनता का गुस्सा इसलिए भी बढ़ा हुआ है क्योंकि यह पहली घटना नहीं है जिसने मध्यप्रदेश को शर्मसार किया हो। इससे पहले भी अनेक मामलों ने पूरे राज्य को हिला दिया था परन्तु अपराध का यह सिलसिला थमता नहीं दिख रहा। चाहे ग्रामीण इलाका हो या शहरी, कहीं न कहीं भय और असुरक्षा की भावना लगातार गहराती जा रही है।

कानून-व्यवस्था पर सवाल जिम्मेदारी किसकी?

प्रदेश की शासन व्यवस्था में गृह विभाग वह कड़ी है जो कानून-व्यवस्था का सीधा और सबसे बड़ा दायित्व निभाता है। लेकिन इस बार एक और सवाल चर्चा में है वह यह कि पिछले सात दशकों में पहली बार ऐसा हुआ है जब मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने इतने लंबे समय तक गृह मंत्रालय अपने पास रखा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव विकास योजनाओं, उद्योगों, निवेश, शिक्षा और कई अन्य क्षेत्रों पर खुद निगरानी रखते हुए लगातार सक्रिय दिखाई देते हैं। लेकिन यदि विकास योजनाओं में व्यस्तता बढ़ रही है, तो सवाल उठता है क्या उन्हें गृह विभाग का महत्वपूर्ण दायित्व किसी सक्षम मंत्री को नहीं सौंप देना चाहिए? गृह विभाग एक फुल-टाइम जिम्मेदारी है। कानून-व्यवस्था में मामूली चूक भी बड़े संकट में बदल सकती है। इसलिए विशेषज्ञों और आमजन की ओर से यह मांग उठना स्वाभाविक है कि इस विभाग को एक ऐसे मंत्री के अधीन किया जाए जो सिर्फ सुरक्षा, पुलिसिंग और अपराध नियंत्रण पर पूरा ध्यान दे सके।

क्या यह प्रशासनिक लापरवाही का संकेत है?

मासूम बच्ची के साथ हुई बर्बर घटना के बाद जिस तरह की पुलिस कार्रवाई सामने आई, वह कई चिंताओं को जन्म देती है। घटना के तुरंत बाद सक्रियता न दिखा पाना, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लोक दबाव का इंतजार करना और सुराग मिलते हुए भी प्राथमिक स्तर पर ढिलाई ये सभी संकेत पुलिस तंत्र की कार्यशैली पर प्रश्नचिह्न लगाते हैं। एक लोकतांत्रिक राज्य में पुलिस केवल एक कानून-लागू करने वाली संस्था नहीं, बल्कि जनता की सुरक्षा की गारंटी भी होती है। यदि वही संस्था दबाव में आने के बाद ही तेजी दिखाती है, तो इसका अर्थ साफ है कि प्रणाली कहीं न कहीं सुस्त, असंवेदनशील और बोझिल हो चुकी है।

एनसीआरबी रिपोर्ट खतरे का बढ़ता दायरा

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट मध्यप्रदेश के लिए चिंता का गंभीर विषय है। प्रदेश लगातार उन राज्यों की सूची में शामिल है जहां नाबालिग लड़कियों के खिलाफ अपराधों की संख्या सबसे अधिक है। रिपोर्ट बताती है कि दुष्कर्म, छेड़छाड़, अपहरण और यौन शोषण के मामलों में मध्यप्रदेश की स्थिति चिंताजनक है। इन अपराधों का लगातार बढ़ना इस बात का संकेत है कि सुरक्षा तंत्र या तो पर्याप्त मजबूत नहीं है या फिर अपराधियों में कानून का भय कम हुआ है। और जब अपराधी बेखौफ होता है, तो नतीजा ऐसी ही विभत्स घटनाओं के रूप में सामने आता है।

प्रदेश का सामाजिक परिदृश्य और पुलिस की भूमिका

मध्यप्रदेश की भौगोलिक और जनसंख्या विविधता पुलिस प्रशासन के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रही है। दूर-दराज के आदिवासी क्षेत्रों से लेकर बड़े शहरों तक पुलिस की जिम्मेदारियाँ काफी व्यापक हैं। लेकिन इन चुनौतियों को देखते हुए भी पुलिस की तत्परता और संवेदनशीलता में सुधार की स्पष्ट आवश्यकता है। कई बार पुलिस संसाधनों की कमी, स्टाफ की कमी, प्रशिक्षण की कमी और आधुनिक तकनीक की अपर्याप्त उपलब्धता का हवाला दिया जाता है। परंतु जब सुरक्षा का प्रश्न हो, तो इन तर्कों से जनता की पीड़ा कम नहीं होती। समाज एक ही जवाब चाहता है सुरक्षा की गारंटी।

क्या बदलाव की जरूरत है?

प्रदेश में महिलाओं और नाबालिगों के खिलाफ लगातार हो रही घटनाओं के बीच विशेषज्ञ कई स्तरों पर सुधार की बात करते हैं-

गृह विभाग को समर्पित नेतृत्वः यदि मुख्यमंत्री अन्य विकास कार्यों में अधिक व्यस्त हैं, तो गृह मंत्रालय को एक अनुभवी मंत्री को सौंपना अधिक प्रभावी साबित हो सकता है।

पुलिस सुधार और आधुनिक तकनीक का उपयोगः सीसीटीवी नेटवर्क, फॉरेंसिक तकनीक, साइबर निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया (रैपिड रिस्पॉन्स) की ओर ध्यान बढ़ाना आवश्यक है।

पुलिस को जवाबदेही के ढांचे में रखनाः अपराध के गंभीर मामलों में देरी या लापरवाही होने पर कड़े प्रशासनिक कदम उठाए जाने चाहिए।

महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित माहौलः स्कूलों, सार्वजनिक स्थलों और परिवहन में सुरक्षा के सख्त मानक लागू करने की जरूरत है।

समाज में जागरूकता और संवेदनशीलता बढ़ानाः अपराध सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है।

कब तक चलेगा यह सिलसिला?: हर घटना के बाद उठने वाला यह सवाल "मध्यप्रदेश में कब तक बहन-बेटियों के साथ इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी?" हर बार बिना जवाब के रह जाता है। लेकिन हर नई घटना के साथ इस सवाल की पीड़ा और गहरी हो जाती है। सरकारें बदलती हैं, अधिकारी बदलते हैं, योजनाएँ आती हैं, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा आज भी जस का तस खड़ा है। यदि अब भी व्यवस्था नहीं जागी, तो भविष्य और भयावह हो सकता है। मध्यप्रदेश में हुई हालिया घटना केवल एक बच्ची के खिलाफ अपराध नहीं, बल्कि पूरे तंत्र के लिए आईना है। यह उस व्यवस्था की विफलता है जो अपराध रोकने और नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनी है। इस घटना ने एक बार फिर सिद्ध किया है कि मजबूत प्रशासन, त्वरित पुलिस कार्रवाई, संवेदनशील शासन और समाज की जागरूकता चारों का मिलकर काम करना आवश्यक है। वरना हर घटना के बाद उठने वाले सवाल बढ़ते रहेंगे और मां-बाप अपनी बेटियों को सुरक्षित समाज देने की उम्मीद खोते रहेंगे।

बीआर गबई आखरी कार्य दिवस पर हुए भावुक

-प्रमोद कुमार

जगत प्रवाह. नई दिल्ली। मुख्य न्यायाधीश बीआर गबई ने अपने विदाई भाषण में कहा, हर पद सत्ता का नही, लेकिन राष्ट्र की सेवा करने का है। आज मैं जिस मुकाम पर हूं वह केवल संविधान, डॉ. अम्बेडकर और मेरे पिता के मार्गदर्शन के कारण सम्भव हो सका है। मैं एक नगर पालिका के स्कूल में जमीन पर बैठकर पढने वाला लडका इस पद तक पहुंचना सोचने के लिए भी मुश्किल था। बीआर गबई ने कहा कि वह लगभग चार दशक से अपने कानूनी एवं न्यायिक यात्रा के अंत में इस सतुष्टी के साथ विदाई ले रहा हूं कि मुझसे जो भी देश के लिए सेवा हो सकती थी, काफी जाबवदेही के साथ किया। मैं 23 नवम्बर 2025 को इस न्याय के संस्था को एक छात्र के रुप में छोड रहा हूं।

शारीरिक शोषण मामले में डॉ. पंकज वत्स एवं उनके पिता राम रत्तन शर्मा पर एफआईआर दर्ज

-प्रमोद कुमार

जगत प्रवाह. नई दिल्ली। पीडित युवती प्रियंका मेहता, जो एमएनसी में कार्यरत हैं, ने डॉ. पंकज वत्स एवं उनके पिता राम रत्तन शर्मा पर एफआईआर करवाई। इन लोगों पर जनकपुरी पुलिस स्टेशन मे शिकायत करवाई है। शादी का झांसा देकर डॉ. वत्स ने प्रियंका मेहता से सम्बन्ध बनाए। डॉ. पंकज वत्स, प्रियंका मेहता को हमेशा ये समझाने में कामयाब रहा कि मेरी पत्नि दिप्ती वत्स से कोई पति पत्नी का सम्बन्ध नही है। मेरी पत्नी मुझे अनादर करती रहती है। इसीलिए मैं उसको तलाक देकर तुम्हें पत्नि बनाउगां और तुम (प्रियंका मेहता) हमारे परिवार के साथ सदा जिंदगी व्यतीत रहोगी। डॉ. पंकज वत्स के पिता (राम रत्तन) इस मामले में अपने बेटे का पक्ष रखकर हमेशा उसे स्पोर्ट करता रहा है। साथ-साथ डॉ. पंकज की पत्नी दिप्ती वत्स तथा उसकी बहन का भी इस मामले में शामिल है। पीडिता ने बताया कि 08 अप्रैल 2025 को प्रियंका को डॉ. पकंज के पिता राम रत्तन ने मेरे घर पर आकर के फ्लैट नं 107, पैसेफिक आपार्टमेन्ट, सेक्टर 10 द्ववाका नई दिल्ली में मुझे और मेरे परिवार को काफी धमकाया। बाद में, काफी विवाद बढने के बाद उन्होंने मुझे MSK Restaurant में मिलने को कहा और डॉ. पंकज वत्स और उनके पिता राम रत्तन ने रेस्टोरेन्ट में मिलने का कहा। पुत्र और पिता ने आश्वासन दिया कि पुरानी बातें भूलकर तुम (प्रियंका मेहता) मिलके एक नई खुशहाली जिंदगी जियो और मेरी शुभकामनांए तुम लोगों के साथ सदा बनी रहेगी। लेकिन कुछ मिनटों के बाद दोनो बाप बेटा का मिजाज बदल गया और कहा कि तुम एक एग्रीमेन्ट हम लोगों के साथ कर लो और मेरा बेटा डॉ. पंकज वत्स से कोई सम्बन्ध रहा ही नही है। लेकिन इस तरह के एग्रीमेन्ट नही मानने के बाद वो दोनों पुत्र व पिता मुझे गालियां देकर रेस्टोरेन्ट से निकल गए।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुनी 'मन की बात' की 128 वीं कड़ी

नवाचारों, जनभागीदारी और उत्कृष्ट प्रयासों को पहचान दिलाते हैं नरेंद्र मोदी

-दुर्गेश अरमोती

जगत प्रवाह. रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' की 128वीं कड़ी को सुना और इसे अत्यंत प्रेरणादायी बताया। उन्होंने कहा कि 'मन की बात' देश की सामूहिक चेतना का उत्सव बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अभिभावक की तरह देश की बातों को देशवासियों के सामने रखते हैं और हर माह राष्ट्र को प्रेरणादायक संदेश देते हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'मन की बात' के माध्यम से देश के कोने-कोने में हो रहे नवाचारों, जनभागीदारी और उत्कृष्ट प्रयासों को पहचान दिलाते हैं, जिससे राष्ट्र निर्माण में लगे समर्पित लोगों को सम्मान प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि आज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा खाद्यान्न उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, विभिन्न राज्यों में शहद प्रसंस्करण की उन्नत विधियां, शहद उत्पादन में वृद्धि, नौसेना सशक्तिकरण, नेवल म्यूजियम, नेचर फॉर्मिंग के महत्व, तथा सऊदी अरब में पहली बार सार्वजनिक मंच पर गीता की प्रस्तुति और लातविया सहित कई देशों में आयोजित गीता महोत्सवों के भव्य आयोजनों की प्रशंसा हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि नेचर फॉर्मिंग के लिए छत्तीसगढ़ में अपार संभावनाएं हैं और यहां के किसान व युवा उद्यमी इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि देश के खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई है और इसमें छत्तीसगढ़ का योगदान महत्वपूर्ण रहा है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि 'मन की बात' में प्रधानमंत्री द्वारा साझा की गई उपयोगी जानकारियाँ अत्यंत प्रेरक हैं। प्रधानमंत्री ने स्पेस टेक्नोलॉजी में जेन-जी युवाओं द्वारा मंगल ग्रह जैसी परिस्थितियों में ड्रोन परीक्षण, असफल चंद्रयान-2 से सफल चंद्रयान-3 की प्रेरणादायी कहानी, महिला खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन, कुरुक्षेत्र में आयोजित गीता महोत्सव, कुरुक्षेत्र में ही महाभारत आधारित 3D लाइट एवं साउंड म्यूजियम, राष्ट्र को समर्पित स्वदेशी डिजाइन वाले युद्धपोत 'आईएनएस माहे', भूटान यात्रा, बनारस में आयोजित होने वाले चौथे 'काशी तमिल संगमम', विंटर टूरिज्म एवं विंटर गेम्स, तथा 'वोकल फॉर लोकल' के तहत देश भर में चल रहे नवाचारों और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों का उल्लेख किया।

आईएएस संतोष वर्मा द्वारा ब्राम्हण समाज पर अभद्र टिप्पणी करने पर पुतले को पहनाई जूते की माला, फिर किया पुतला दहन

-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह.टिमरनी। नगर के स्टेशन चौराहे पर समस्त सर्व ब्राम्हण समाज के लोगों ने आईएएस संतोष वर्मा द्वारा एक कार्यक्रम में सार्वजनिक मंच से बेटियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके विरोध में प्रदर्शन किया और संतोष वर्मा हाय-हाय मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए आईएएस संतोष वर्मा के पुतले को चप्पल जूतों से पीटा फिर जूते की माला पहनाई और पुतला दहन किया गया। तथा जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन कर बस स्टेंड चौराहें से रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे। जहां मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम संजीव कुमार नागू को ज्ञापन सौपा। शासन प्रशासन से तत्काल ऐसे टिप्पणी करने वाले आईएएस संतोष वर्मा की सेवा समाप्ति करने ओर दंडात्मक कार्यवाही की जाने की मांग की गई।

आईएएस पद की गरीमा को किया धूमिल

ब्राम्हण समाज के डॉ. राजेन्द्र शर्मा, दिनेश तिवारी (चमन), संतोष भार्गव द्वारा बस स्टेंड चौराहें पर समाजिक सभा आयोजित कर विरोध स्वरूप कहां कि बहन बेटियों के खिलाफ ऐसी अभद्र टिप्पणी करने वाले आईएएस संतोष वर्मा ने अपने आईएएस पद की गरिमा को भी धूमिल किया है। टिमरनी नगर में भी 2007 से 2008 के बीच रहे तो नगर में भी कई अपवाद फैलाकर गए थे। दो बार संतोष वर्मा को जेल भी हो चुकी है। फिर हमारे देश का कानून ऐसे भ्रष्टों पर कठौर कार्यवाही नहीं कर पा रहे है। इस दौरान रमेश तिवारी, पवन दुबे, सैकी उपाध्याय, विकास शर्मा, सागर तिवारी, सचिन तिवारी, संजय उपाध्याय, अक्षय शांडिल्य, टोनी भाई, मुकेश शांडिल्य, ओमप्रकाश शुक्ला, उत्तम गिरी, राकेश काशिव, सतीश शुक्ला, सहित सैकडों की संख्या में सर्व ब्राम्हण समाज के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।

गाडरवारा एनटीपीसी राख डाईक में धंसा ट्रक, ड्राइवर की मौत

-बद्रीप्रसाद कौरव

जगत प्रवाह. नरसिंहपुर। जिले के गाडरवारा स्थित एनटीपीसी थर्मल पावर प्लांट में एक बड़ा हादसा हो गया। राख डाईक में ट्रक अचानक धंस गया, जिससे चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक चालक की पहचान सागर जिले की बांदा तहसील निवासी वीरेंद्र (30) के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, वीरेंद्र रोजाना की तरह राख भरने के लिए राखड़ क्षेत्र में ट्रक लेकर पहुंचा था। इसी दौरान मिट्टी का एक बड़ा हिस्सा अचानक ढह गया, जिससे ट्रक और चालक राख में दब गया।

कैसे हुआ हादसा?: जानकारी के अनुसार, मृतक रोज की तरह सुबह ट्रक लेकर राख भरने पहुंचा था। जैसे ही उसने ट्रक खड़ा किया, पास में जमा हुआ राखड़ का बड़ा ढेर अचानक ध्वस्त हो गया। देखते ही देखते चालक राख के भीतर पूरी तरह दब गया। आसपास मौजूद श्रमिकों और लोगों ने उसे खोजने की कोशिश की, लेकिन उसे ढूंढने में 10-15 मिनट लग गए। जब तक उसे निकाला गया, वह अचेत अवस्था में था। तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस की कार्रवाई: घटना की सूचना मिलते ही डोंगरगांव पुलिस मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी प्रकाश पाठक ने बताया कि पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर पंचनामा कार्यवाही की है। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है और मामले की जांच जारी है। आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। डोंगरगांव थाना प्रभारी प्रकाश पाठक ने बताया कि मामले में मर्ग कायम कर पोस्टमॉर्टम करवाया जा रहा है। हादसे के कारणों की पुष्टि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही की जा सकेगी। लगातार हो रही दुर्घटनाओं के बावजूद भी शासन प्रशासन द्वारा जिम्मेदारों पर न कोई कार्यवाही की जाती है न ही किसी प्रकार की जांच होती है। शासन का सुप्त रवैया यह साफ जाहिर करता है कि प्लांट चालू के उपरांत से आए दिन हो रहे इन भीषण हादसों जिनमें न जाने कितने ही जन अपनी जान से हाथ धो बैठे का शांत हो।

सम्पादकीय

विकास के पथ पर भारत संतुलन, सतर्कता और संवेदनशीलता की जरूरत

भारत आज परिवर्तन की असाधारण यात्रा से गुजर रहा है। यह परिवर्तन सिर्फ आर्थिक वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी नवाचार, अवसंरचना विस्तार और वैश्विक पहचान के विस्तार से भी जुड़ा है। देश के विभिन्न हिस्सों में चल रहे विकास कार्य—राजमार्गों का जाल, हवाई अड्डों का विस्तार, डिजिटल इकोसिस्टम की मजबूती, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन और ऊर्जा क्षेत्र में तेजी एक बड़े और दूरगामी बदलाव का संकेत हैं। लेकिन इस विकास यात्रा की सफलता तभी सुनिश्चित होगी, जब यह संवेदनशील और संतुलित ढंग से आगे बढ़े। पिछले कुछ वर्षों में केंद्र और राज्य सरकारों ने संरचनात्मक विकास को प्राथमिकता दी है। सड़कों, पुलों, एक्सप्रेसवे और मेट्रो परियोजनाओं से लेकर जलापूर्ति, स्वच्छता, कृषि सुधार और ऊर्जा उत्पादन तक लगभग हर क्षेत्र में परियोजनाएं गति पकड़ चुकी हैं। फास्टैग, डिजिटल भुगतान, 5जी सेवाएं और ई-गवर्नेंस के विस्तार ने प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और तेज बनाया है। इसी तरह, 'प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना', 'स्मार्ट सिटी मिशन', 'भारतमाला', 'गति शक्ति योजना', 'उज्ज्वला' और 'जल जीवन मिशन' जैसी योजनाओं ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को प्रभावित किया है। गांवों में सड़कें पहुंचीं, बिजली और गैस कनेक्शन की उपलब्धता बढ़ी, और शहरों में आवागमन के नए साधन विकसित हुए।

आज भारत में अवसंरचना निर्माण रिकॉर्ड गति से हो रहा है। हाईवे निर्माण की दर कई गुना बढ़ी है। मेट्रो नेटवर्क देश के कई शहरों में विस्तार पा रहा है। इससे रोजगार सृजन भी हुआ है, क्योंकि निर्माण क्षेत्र स्वयं सबसे अधिक रोजगार देने वाले क्षेत्रों में से है। इन परियोजनाओं के माध्यम से एक ओर निवेश को बढ़ावा मिलता है, वहीं दूसरी ओर उपभोक्ता बाजार का विस्तार भी होता है। यह सकारात्मक चक्र देश की अर्थव्यवस्था को निरंतर गतिशील बनाए रखने में मदद करता है।

भारत की असली शक्ति उसके गांवों में बसती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर केंद्रित विकास कार्यों ने किसानों, छोटे उद्यमियों और कारीगरों को नई दिशा दी है। 'किसान सम्मान निधि', कृषि उपज बाजारों के आधुनिकीकरण, नई सिंचाई परियोजनाओं, सोलर ऊर्जा और जैविक खेती के प्रोत्साहन ने कृषि क्षेत्र में तकनीकी हस्तक्षेप बढ़ाया है। इसके अलावा ग्रामीण पर्यटन, हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराने के प्रयासों ने 'वोकल फॉर लोकल' अभियान को मजबूती दी है।

देश में तकनीकी क्षेत्र में हुए विकास ने सबसे बड़ा और त्वरित परिवर्तन किया है। डिजिटल भुगतान, आधार आधारित सेवाएं, ऑनलाइन शैक्षणिक प्लेटफॉर्म, टेली-मेडिसिन, और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने जीवन को सरल बनाया है। स्टार्टअप इंडिया के तहत हजारों युवाओं ने उद्यमिता का रास्ता अपनाया और नई-नई तकनीकों के माध्यम से समाधान खोजे। ई-कोर्ट, डिजिटल भूमि अभिलेख और ऑनलाइन नागरिक सेवाओं से आमजन के लिए सरकारी कामकाज पारदर्शी और आसान हुआ है। यह भी सच है कि विकास का हर कदम आसान नहीं होता। तेजी से बढ़ रहे शहरीकरण से पर्यावरण पर असर पड़ता है। कई परियोजनाएं कागजों में आकर्षक दिखती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनकी गति सुस्त रहती है। कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में रोजगार सृजन की रफ्तार धीमी है। कृषि क्षेत्र अभी भी अनेक संरचनात्मक समस्याओं से जूझ रहा है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच विकास की गति में असमानता भी चिंताजनक है। इसलिए विकास को केवल आंकड़ों में नहीं, बल्कि उसके वास्तविक प्रभाव में मापने की आवश्यकता है। देश में आज जो विकास कार्य चल रहे हैं, वे अगले दशक के भारत की नींव रख रहे हैं। यह एक ऐसा समय है जब भारत विकास, आत्मनिर्भरता और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार खड़ा है। लेकिन यह अवसर तभी सार्थक होगा, जब विकास संवेदनशील, समावेशी और सतत हो।

सियासी गहमागहमी

राहुल गांधी का सियासी ड्रामा हुआ शुरू

बिहार चुनाव में करारी हार के बाद राहुल गांधी एक बार फिर अपने पसंदीदा खेल में लौट आए हैं। ठीकरा फोड़ने का खेल! नतीजे आए नहीं कि उन्होंने बिना समय गंवाए सहयोगी दलों को कटघरे में खड़ा कर दिया। मानो चुनाव प्रचार में उन्होंने खुद कुछ नहीं किया हो ना भाषणों में ऊँची–ऊँची बातें, ना जनता से भावनात्मक अपील, बस सब जिम्मेदार वो लोग हैं जो उनके साथ चुनाव लड़े। राहुल गांधी का यह नया राजनीतिक फार्मूला बड़ा सरल है अगर जीत जाएँ तो रणनीति अपनी और अगर हार जाएँ तो गलती सहयोगियों की। शायद यही वजह है कि देश की राजनीति में वे एक ऐसे कप्तान माने जाते हैं जो मैच में देर से आते हैं, रन नहीं बनाते, पर हार का ठीकरा फील्डरों पर फोड़कर ड्रेसिंग रूम लौट जाते हैं। बिहार की जनता ने किन मुद्दों पर मतदान किया, किससे नाराज थी, किससे उम्मीद थी इन सबका जिम्मा उठाना राहुल गांधी को क्यों लेना? जब सहयोगी दल मौजूद हैं तो ठीकरा फोड़ने का यह सुनहरा अवसर भला क्यों छोड़ें!

कमलनाथ सहित कई प्रमुख नेताओं को मिल सकती है नई जिम्मेदारी

कमलनाथ सहित कई प्रमुख नेताओं को मिल सकती है नई जिम्मेदारी- यह खबर सुनते ही राजनीति के गलियारे में अचानक हलचल बढ़ गई। वजह साफ है नई जिम्मेदारी का मतलब नए कमरे, नई कुर्सियाँ और पुराने वादों की नई पैकिंग! कमलनाथ तो वैसे भी लंबे समय से जिम्मेदारियों का ऐसा संग्रहालय लिए घूम रहे हैं कि अब अगर उन्हें एक और जिम्मेदारी मिल जाए, तो शायद इसे राजनीति का 'बोनस लेवल' माना जाएगा। पार्टी भी जानती है कि वरिष्ठ नेताओं को नई जिम्मेदारी देना एक तरह से शीतकालीन पैकेज जैसा होता है न काम बढ़ता है, न बोझ, बस प्रेस रिलीज में चमक आती है। नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना से पार्टी के कुछ नेता भी उत्साहित हैं। आखिर कौन नहीं चाहता ऐसा पद, जहाँ काम के नाम पर बैठकों में सिर हिलाना हो और अनुभव के नाम पर पुराने भाषणों को दोहराना हो? राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह नया कदम पार्टी में "सक्रियता का माहौल" बनाएगा, हालांकि यह सक्रियता जमीन पर कम और बयानबाजी में ज्यादा दिखाई देगी।

हफ्ते का कार्टून

ट्वीट-ट्वीट

बच्चों का दर्द सबसे गहरी चोट की तरह माओं के दिल में उतरता है। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ लड़ रही ऐसी ही कुछ साहसी माओं से मिला - वे अपने ही नहीं, पूरे देश के बच्चों के भविष्य को लेकर डरी हुई हैं। जहरीली हवा से छोटे-छोटे बच्चे फेफड़ों, दिल और मानसिक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। लेकिन इतनी भयावह राष्ट्रीय आपदा के बीच भी मोदी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है।

-राहुल गांधी
कांग्रेस नेता @RahulGandhi

प्रदेश में पत्रकारों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर कवरेज करने पर पत्रकारों को प्रताड़ित किया जाएगा तो रिपोर्टिंग कैसे हो पाएगी। इस विषय को गंभीरता से लिया जाए और कानून व्यवस्था का पालन कराया जाए।

-कमलनाथ
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष
@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

जेपी नड्डा विचारधारा और सामाजिक विकास को संतुलित रूप से ले जा रहे आगे

समता पाठक/जगत प्रवाह

जगत प्रकाश नड्डा का जन्म 2 दिसंबर 1960 को पटना, बिहार में हुआ था। नड्डा का बचपन बिहार में बीता, लेकिन उनके पारिवारिक जड़ों में हिमाचल प्रदेश का भी गहरा संबंध है। उनकी स्कूली शिक्षा सेंट जेवियर्स स्कूल, पटना में हुई। उसके बाद उन्होंने पटना कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय से बी.ए. की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला से एल.एल.बी. (कानून) की पढ़ाई पूरी की। नड्डा की राजनीतिक सक्रियता छात्र जीवन में ही शुरू हो गई थी। उन्होंने 1975 के जयप्रकाश नारायण आंदोलन (सम्पूर्ण क्रांति आंदोलन) में भाग लिया, जो उनकी राजनीतिक उम्र की शुरुआती झलक था। वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के सदस्य बन गए और बाद में इसमें सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। नड्डा ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सक्रिय राजनीति की शुरुआत की। उन्होंने 1993 में बिलासपुर सदर से पहली बार विधायक चुने जाने का प्रयास किया, और बाद में 1998 तथा 2007 में भी यह चुनाव जीता। 1994–1998 के बीच वे हिमाचल विधानसभा में बीजेपी समूह के नेता रहे। 1998 में उन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री पद संभाला, जहाँ उनकी जिम्मेदारी स्वास्थ्य और पारिवारिक कल्याण और विधायी कार्यों की रही। बाद में, वे पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों में भी मंत्री रहे।

2012 में जे. पी. नड्डा को राज्यसभा का सदस्य चुना गया। 2014 में उन्हें केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, एक अहम और चुनौतीपूर्ण मंत्रालय। उनकी नेतृत्व क्षमता को देखते हुए जून 2019 में उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। फिर 20 जनवरी 2020 को वे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। जेपी नड्डा को पार्टी में एक रणनीतिकार और संगठन-प्रबंधक के रूप में माना जाता है। उन्होंने विभिन्न राज्य-स्तरीय पार्टी विभागों का नेतृत्व किया है और चुनाव प्रबंधन में उनकी भूमिका अहम रही है। उनकी छात्र राजनीति के अनुभव और विधायी कामकाज की समझ ने उन्हें ऐसे नेता के रूप में गढ़ा है जो पार्टी और सरकार के बीच संतुलन कायम कर सकता है। नड्डा की छवि अपेक्षाकृत संयमित, जिम्मेदार और अनुशासित नेता की है। उनकी राजनीति में विवादों की तुलना में कार्य कुशलता और संगठनात्मक दक्षता अधिक देखी जाती है। उनकी जीवन यात्रा यह दर्शाती है कि वे विचारों पर आधारित राजनीति में विश्वास रखते हैं और लंबे समय तक पार्टी के लिए समर्पित रह सकते हैं। एक राष्ट्रीय दल के अध्यक्ष के रूप में नड्डा की चुनौती यह है कि वे पार्टी को विकास-उन्मुख, जन-आधारित और मजबूत संगठनात्मक यंत्रणा के साथ आगे बढ़ाएँ। उनके नेतृत्व में, भाजपा को न सिर्फ चुनावी जीत की चिंता है, बल्कि विचारधारा, संगठनात्मक प्रशासन और सामाजिक विकास को संतुलित रूप से आगे ले जाने की जिम्मेदारी भी है।

जेपी नड्डा का जीवन परिचय एक ऐसे नेता की कहानी है जिसने छात्र आंदोलन से शुरुआत करके पार्टी संगठन और सरकार की सर्वोच्च जद-जमीनियों तक सफर किया। उनका राजनीतिक सफर आत्म-नियोजन, अनुशासन और संगठनात्मक कौशल का परिचायक है। वर्तमान में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनकी जिम्मेदारी न सिर्फ अपने दल को शक्ति और दिशा देने की है, बल्कि देश की राजनीति में संतुलन और स्थिरता बनाए रखने का भी है। उनके नेतृत्व पर न केवल बीजेपी के भविष्य की उम्मीदें टिकी हैं, बल्कि भारतीय राजनीति की आगामी दिशा भी निर्भर करती है।

संविधान: राष्ट्र की धड़कन, हमारी शक्ति

आज की बात

प्रवीण कक्कड़
स्वतंत्र लेखक

क्या आपने कभी सोचा है कि आपके हाथ में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? यह किसी पद, संसाधन या प्रभाव में नहीं, बल्कि उस जीवंत अनुबंध में निहित है जो हम 140 करोड़ लोगों को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ता है- हमारा संविधान। 26 नवंबर को, हम उस ऐतिहासिक दिवस का स्मरण करने जा रहे हैं जब भारत ने अपनी आत्मा को लिखित दर्शन के रूप में रूपांतरित किया। एक पूर्व पुलिस अधिकारी होने के नाते और प्रशासन व राजनीति को करीब से देखने के अनुभव के आधार पर मैं यह कह सकता हूँ कि संविधान केवल कानून का ढांचा नहीं, यह हर नागरिक की गरिमा, स्वतंत्रता और अवसरों की बुनियाद है। संविधान हम सबके लिए महत्वपूर्ण है, पर आज की युवा पीढ़ी के लिए सबसे ज्यादा, क्योंकि वही भविष्य का भारत गढ़ने वाली है। मेरी युवाओं से अपील है: सिर्फ पढ़ें नहीं, इसे जिएँ।

26 नवंबर- जब भारत ने खुद को गढ़ा

26 नवंबर 1949 केवल एक तारीख नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की घोषणा है। उसी दिन राष्ट्र ने यह तय कर दिया कि भविष्य की यात्रा किसी राजा, किसी सत्ता-समूह या किसी वर्ग विशेष के आदेश से नहीं, बल्कि "हम, भारत के लोग" की सामूहिक इच्छा और विवेक से चलेगी। आज संविधान दिवस मनाना महज एक औपचारिकता नहीं, बल्कि उस मूल दर्शन को पुनः महसूस करने का अवसर है जिसने भारत को दुनिया के सबसे बड़े, सबसे जटिल और सबसे सफल लोकतंत्र में बदला।

आज यह पन्ना पलटना क्यों जरूरी है?

हम 26 जनवरी को गर्व से मनाते हैं, लेकिन उससे ठीक दो महीने पहले 26 नवंबर वह दिन है जब भारत की आत्मा को स्याही और कागज पर उतारा गया था। संविधान दिवस हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र एक स्वतः संचालित मशीन नहीं; इसे हर पीढ़ी को समझना, निभाना और मजबूत करना पड़ता है। इसीलिए हम यह लेख आज लिख रहे हैं- क्योंकि संविधान कोई धूल भरी किताब नहीं, बल्कि एक जीवंत, श्वास लेता हुआ दस्तावेज है। इसमें भारत के सपने, संघर्ष, उम्मीदें और दिशाएँ दर्ज हैं। यह हमें याद दिलाता है कि भारत भाग्य से नहीं, बल्कि एक सुविचारित, न्यायपूर्ण और समावेशी सोच की शक्ति से चलता है। यह हमारा सामूहिक चरित्र-प्रमाण पत्र है।

संविधान की सोच: एक अमर विचार

भारत का संविधान किसी शासक का उपहार नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता की आत्मिक चेतना का लोकतांत्रिक रूपांतरण था। इसकी आधारशिला डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की दूरदर्शिता में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के चार शाश्वत स्तंभों पर रखी गई।

संविधान की मूल सोच थी

सर्वोपरि राष्ट्र: भारत का प्रत्येक नागरिक समान है। बिना किसी जातीय, लैंगिक या धार्मिक भेदभाव के।

लोकतांत्रिक शक्ति: सत्ता की चाबी किसी एक व्यक्ति में नहीं, बल्कि सीधे जनता के हाथ में निहित है।

सामाजिक क्रांति: सदियों से वंचितों, दलितों, महिलाओं और गरीबों को राजनीतिक और सामाजिक बराबरी का अधिकार सुनिश्चित करना।

लचीलापन: यह इतना सक्षम हो कि समय के साथ खुद को ढाल सके, पर इसके मूल सिद्धांत (Basic\ Structure) हमेशा अडिग रहें।

यह सोच हमें सिखाती है कि विविधता कोई चुनौती नहीं, बल्कि वह अद्वितीय ऊर्जा है जिससे भारत अपनी सबसे बड़ी शक्ति पाता है।

युवा पीढ़ी और संविधान- शक्ति का स्रोत

आज का युवा डिजिटल दुनिया में जी रहा है, जहाँ जानकारी तुरंत मिलती है, पर सही दिशा उतनी ही जरूरी हो जाती है। संविधान युवाओं के लिए केवल एक विषय नहीं, बल्कि शक्ति, सुरक्षा और अवसर का अचूक स्रोत है।

यह युवाओं को तीन बड़ी क्षमताएँ देता है

वोट देने का अधिकार नहीं, सवाल पूछने का साहस।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं, विवेकपूर्ण संवाद की जिम्मेदारी।

शिक्षा का अधिकार नहीं, ज्ञान को समाज के हित में उपयोग करने की प्रेरणा।

Article\19 का अभिव्यक्ति का अधिकार, Article\ 21 का जीवन का अधिकार और Article\21A का शिक्षा का अधिकार- ये हर युवा का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट हैं अपने सपनों को साकार करने के लिए। अगर युवा संविधान को "किताबी ज्ञान" मानकर छोड़ देंगे, तो वे अपनी सबसे बड़ी विरासत—अपनी नागरिक शक्ति—को खो देंगे। संविधान उन्हें केवल उपभोक्ता नहीं, बल्कि जागरूक राष्ट्र-निर्माता बनाता है।

अधिकार और कर्तव्य—एक ही सिक्के के दो पहलू

संविधान की सबसे सुंदर विशेषता यही है कि जहाँ यह हमें अधिकार देता है, वहीं कर्तव्यों की जिम्मेदारी भी सौंपता है। हमें खुलकर बोलने का अधिकार है, पर हमें दूसरों की गरिमा और राष्ट्र के सम्मान को बनाए रखना कर्तव्य है। हमें सार्वजनिक जीवन में आंदोलन का अधिकार है, पर दूसरों की स्वतंत्रता और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना कर्तव्य है। अधिकार हमें शक्ति देते हैं, पर कर्तव्य हमें चरित्र देते हैं। चरित्रवान नागरिक ही महान राष्ट्र बनाते हैं और यही संविधान की आत्मा है।

संविधान से जुड़ी प्रेरणादायक बातें

कला और कानून का संगम: संविधान की मूल प्रति प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा द्वारा हाथ से लिखी गई थी, और शांति निकेतन के कलाकारों ने इसके हर पृष्ठ को सजाया—यह कानून और कला का अद्भुत संगम है।

वैश्विक बुद्धिमत्ता का सार: इसे बनाते समय 60 से अधिक देशों के संविधानों से श्रेष्ठ विचार लिए गए, जिससे यह वैश्विक ज्ञान का भंडार बन गया।

दुनिया का सबसे लंबा: यह दुनिया का सबसे लंबा और सबसे विस्तृत लिखित संविधान है—जो हमारी अविश्वसनीय विविधता और जटिलता को एक सूत्र में पिरोता है।

हम, भारत के लोग एक शपथ

संविधान दिवस केवल स्मरण का दिन नहीं, बल्कि एक संकल्प दिवस है कि हम न्याय की रक्षा करेंगे, समानता को अपनाएँगे, और स्वतंत्रता की लौ को कभी बुझने नहीं देंगे। भारत का संविधान हमें यह याद दिलाता है कि नागरिकता केवल सुविधा नहीं, बल्कि उत्तरदायित्व है।

इस सप्ताह जब पूरा देश संविधान दिवस की ओर बढ़ रहा है, हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि संविधान को सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, बल्कि अपने जीवन का मार्गदर्शक मानें। जब तक संविधान के मूल्य हर भारतीय के हृदय में जीवित रहेंगे, तब तक भारत विश्व में एक प्रकाशस्तंभ की तरह चमकता रहेगा। संविधान अमर रहे, राष्ट्र निरंतर आगे बढ़े।

नक्सली माओवाद गिनता अंतिम सांसें

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

मध्यप्रदेश के श्योपुर के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में भारत की धरती पर जन्मी मुखी नाम की मादा चीता ने 5 शावकों को जन्म देकर पूर्णतः भारतवंशी चीतों का बुनियाद रख दी है। यह देश में चीता पुनर्वास परियोजना में नए अध्याय की शुरुआत है। अभी तक नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से भारत लाइ गई मादा ने ही चीता शावकों को जन्म दिया है। 32 माह की मुखी और शावक स्वस्थ है। इस खुशखबरी के मिलने पर केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि यह सिर्फ एक जन्म नहीं, बल्कि पूरी परियोजना का आत्मविश्वास बढ़ाने वाला मोड़ है। कूनो में मादा चीता ज्वाला दो बार मां बन चुकी है, जिसने मुखी समेत अनेक शावकों को जन्म दिया है। अब मुखी के मां बनाने के बाद कूनो में एक साथ तीन पीढ़ियां अठखेलियां करने लग गई हैं। भारत अब कुल 32 चीते है, जिनमें से 21 यहीं जन्में हैं। इनमें तीन चीते गांधीसागर अभ्यारण्य में चहलकदमी कर रहे हैं। 17 सितम्बर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कूनो में चीता पुनर्स्थापना परियोजना का शुभारंभ किया गया था।

नामीबिया से लाए गए आठ चीतों को मध्यप्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में प्रधानमंत्री ने छोड़ा था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते और लाकर छोड़े गए थे। नई धरती और जलवायु परिवर्तन के चलते इन चीतों को आरंभ में यहां के मौसम से तालमेल बिठाने में दिक्कतें आईं। नतीजतन छह वयस्क और यहीं पैदा हुए चार शावकों में से तीन की मौतें भी हुई थीं, इस कारण परियोजना पर सवाल भी खड़े किए गए थे। दक्षिण अफ्रीका से लाकर बसाए गए 12 चीतों को 18 फरवरी 2024 को दो साल पूरे हो हुए थे, इस अवधि में इन चीतों की मृत्यु दर में कमी ने परियोजना की सफलता के प्रथम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था। इनकी जीवित रहने की दर शुरुआत में नामीबिया से लाए चीतों से बेहतर रही थी। दक्षिण अफ्रीका से आए 12 चीतों में से 33.3 प्रतिशत की मौत हुई,जबकि नामीबिया से लाए गए चीतों में से 37.5 प्रतिशत चीतों की मौत हुई। अफ्रीका से लाई गई तीन मादा चीताओं ने अब तक 12 शावकों को जन्म दिया है। ये चीते अब भारतीय परिवेश में न केवल पूरी तरह ढल गए हैं,बल्कि नए घर कूनो में आबादी बढ़ा रहे हैं। नए आवास स्थलों में 50 फीसदी चीतों की मौत को सामान्य माना जाता है।

एक समय था जब चीते की रफ्तार भारतीय वनों की शान हुआ करती थी। लेकिन 1947 के आते-आते चीतों की आबादी पूरी तरह लुप्त हो गई। 1948 में अंतिम चीता छत्तीसगढ़ के सरगुजा में देखा गया था। जिसे मार गिराया गया था। चीता तेज रफ्तार का आश्चर्यजनक चमत्कार माना जाता है। अपनी विशिष्ट एवं लोचपूर्ण देहयष्टि के लिए भी इस हिंसक वन्य जीव की अलग पहचान

थी। शरीर में इसी चपलता के कारण यह जंगली प्राणियों में सबसे तेज दौड़ने वाला धावक है।

बीती सदी में चीतों की संख्या एक लाख तक थी, लेकिन अफ्रीका के खुले घास वाले जंगलों से लेकर भारत सहित लगभग सभी एशियाई देशों में पाया जाने वाला चीता अब पूरे एशियाई जंगलों में गिनती के रह गए हैं। राजा चीता (एसिनोनिक्स रेक्स) जिम्बाब्वे में मिलता है। अफ्रीका के जंगलों में भी गिने-चुने चीते रह गए हैं। तंजानिया के सेरेंगती राष्ट्रीय उद्यान और नामीबिया के जंगलों में गिने-चुने चीते हैं। प्रजनन के तमाम आधुनिक व वैज्ञानिक उपायों के बावजूद जंगल की इस फुर्तीली नस्ल की संख्या बढ़ाई नहीं जा पा रही है। यह प्रकृति के समक्ष वैज्ञानिक दंभ की नाकामी है। जूलॉजिकल सोसायटी आफ लंदन की रिपोर्ट को मानें तो दुनिया में 91 प्रतिशत चीते 1991 में ही समाप्त हो गए थे। अब केवल 7100 चीते पूरी दुनिया में बचे हैं। एशिया के ईरान में केवल 50 चीते शेष हैं। अफ्रीकी देश केन्या के मासीमारा क्षेत्र को चीतों का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब इनकी संख्या गिनती की रह गई है। ऐसे में भारत में चीतों की वंशवृद्धि दुनिया के लिए खुशखबरी है।

बीती सदी के पांचवें दशक तक चीते अमरीका के चिड़ियाघरों में भी थे। प्राणी विशेषज्ञों की अनेक कोशिशों के बाद इन चीतों ने 1956 में शिशुओं को जन्म भी दिया, परंतु किसी भी शिशु को बचाया नहीं जा सका। चीते द्वारा किसी चिड़ियाघर में जोड़ा बनाने की यह पहली घटना थी, जो नाकाम रही। जंगल के हिंसक जीवों का प्रजनन चिड़ियाघरों में आश्चर्यजनक ढंग से प्रभावित होता है, इसलिए शेर, बाघ, तेंदुए व चीते चिड़ियाघरों में जोड़ा बनाने की इच्छा नहीं रखते हैं। भारत में चीतों की अंतिम पीढ़ी के कुछ सदस्य बस्तर-सरगुजा के घने जंगलों में थे, जिन्हें 1947 में देखा गया था। प्रदेश अथवा भारत सरकार इनके संरक्षण के जरूरी उपाय करने हेतु हरकत में आती, इससे पहले ही चीतों के इन अंतिम वंशजों को भी शिकार के शौकीन राजा-महाराजाओं ने मार गिराया और भारतीय चीतों की नस्ल पर पूर्ण विराम लग गया था। कूनो के बाद अब मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले के गांधीसागर अभ्यारण्य में चीतों का नया कुनबा बसा दिया है। यहां फ़िलहाल तीन चीते हैं।

हमारे देश के राजा-महाराजाओं को घोड़ों और कुत्तों की तरह चीते पालने का भी शौक था। चीता शावकों को पालकर इनसे जंगल में शिकार कराया जाता था। राजा लोग जब जंगल में आखेट के लिए जाते थे, तो प्रशिक्षित चीतों को बैलगाड़ी में बिठाकर साथ ले जाते थे। इनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती थी, जिससे यह किसी मामूली वन्य जीव पर न झपटे। जब शिकार राजाओं की दृष्टि के दायरे में आ जाता था, तो चीते की आंखों की पट्टी खोलकर शिकार की दिशा में हाथ से इशारा कर दिया जाता था। पलक झपकते ही शिकार चीते के जबड़े में होता। शिकार का यह अद्भुत करिश्मा देखना भी एक आश्चर्यजनक रोमांच की बात रही होगी?

उत्तराखण्ड में धामी सरकार के तीन वर्षः निर्णायक फैसलों की मिसाल और जनता के हित में उठाए ठोस कदम

-विजया पाठक

जगत प्रवाह. देहरादून। उत्तराखण्ड की राजनीति में पिछले तीन साल किसी तेज चलती नदी की तरह रहे हैं। ऊपर से शांत लेकिन भीतर गहरी हलचल लिए हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने ऐसे कई निर्णय लिए, जिन्हें उत्तराखण्ड की विकास यात्रा के नए अध्याय के रूप में देखा जा सकता है। युवा मुख्यमंत्री की कार्यशैली का सबसे उल्लेखनीय पहलू यह है कि वे कठिन निर्णय लेने से हिचकते नहीं, बल्कि स्थितियों का सीधे सामना करते हुए समस्याओं के मूल में जाकर समाधान तलाशते हैं। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज उत्तराखण्ड एक अधिक व्यवस्थित, आत्मविश्वासी और भविष्य के लिए तैयार राज्य के रूप में उभर रहा है।

भर्ती परीक्षा सुधारों की निर्णायक शुरुआत

राज्य में वर्षों से परीक्षाओं में धांधली का दाग था। युवाओं का मनोबल गिरा हुआ था। सरकार ने इस चिंता को सबसे पहले समझा और निर्णायक रूप से कदम उठाए। पेपर लीक मामलों पर सख्त कार्रवाई कर न केवल नकल माफिया की कमर तोड़ी गई, बल्कि उत्तराखण्ड को देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून भी मिला। धामी सरकार का यह निर्णय युवाओं को स्पष्ट संदेश देता है- मेहनत का सम्मान होगा, नकल का नहीं। उत्तराखण्ड में इसका सीधा असर भी देखने को मिला। भर्ती प्रक्रियाओं में तेजी आई, विलंबित परीक्षाएँ समय पर पूरी होने लगीं, और युवाओं का भरोसा वापस लौटने लगा।

सम्मानजनक वातावरण की दिशा में कदम

पहाड़ी राज्य की महिलाएँ दोहरी भूमिका निभाती हैं घर की भी और खेत की भी। ऐसे में उनके सुरक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई दीर्घकालिक कदम उठाए। फास्ट-ट्रैक कोर्ट्स की संख्या बढ़ाने से लेकर महिला हेल्पलाइन को और प्रभावी बनाने तक, मिशन शक्ति को नई गति देने से लेकर स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने तक हर स्तर पर महिलाओं को आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाने की दिशा में काम हुआ। विशेषकर दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट्स का संचालन बड़ी राहत लेकर आया। इससे उन गाँवों में भी स्वास्थ्य सुविधाएँ पहुँचीं, जहाँ पहुँचना कभी मुश्किल होता था।

चारधाम और आध्यात्मिक पर्यटन का पुनरुत्थान

उत्तराखण्ड की आत्मा उसके धार्मिक स्थलों में है। धामी सरकार ने इस आत्मा को मजबूत करने के लिए चारधाम यात्रा को अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित और आधुनिक बनाया। केदारनाथ धाम में चल रहा पुनर्निर्माण कार्य आज देश में मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। बदरीनाथ धाम का मास्टर प्लान तेजी से आगे बढ़ रहा है। हरिद्वार में गंगा तटों और घाटों का नया स्वरूप पर्यटन को विश्व स्तरीय बना रहा है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य केवल यात्रियों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को और सशक्त बनाना है।

धामी सरकार का ऐतिहासिक और साहसिक फैसला

उत्तराखण्ड का नाम इतिहास में दर्ज हुआ जब राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में निर्णायक कदम उठाने वाला पहला राज्य बना। यह निर्णय न केवल सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, बल्कि लैंगिक समानता और आधुनिक शासन की दिशा में भी बड़ा

विकास बनाम विषमता

रघु ठाकुर
सामाजिक कार्यकर्ता,
विचारक और
समाजवादी नेता

भारत सरकार कुछ दिनों से अपनी पीट थपथपा रही है और देश की आर्थिक तरक्की के आंकड़े प्रस्तुत कर रही है, जिसमें:

1. भारत की अर्थव्यवस्था जापान को पीछे छोड़कर चौथी अर्थव्यवस्था बन गई है और तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रही है।

2. पिछले 11 वर्षों में भारत सरकार की आर्थिक नीतियों के चलते 27 करोड़ लोग गरीबी की सीमा रेखा से ऊपर आये हैं।

3. अमेरिका के द्वारा टैरिफ दरों में वृद्धि के बाद भारत की अर्थव्यवस्था अप्रभावित रही है।

वैसे तो आज के प्रधानमंत्री जब जो जहां जरूरत होती है, वैसे आंकड़ा गढ़ लेते हैं। परंतु इन तीन प्रमुख बिंदुओं का विश्लेषण जरूरी है। निसंदेह अगर बजट की राशि पर निर्धारित करें तो भारत की अर्थव्यवस्था जापान के आगे नजर आयेगी। परंतु अगर इस राशि का आमजन के बीच बंटवारा और देश के भीतर आदमी-आदमी के बीच के अंतर को देखा जाये तो सरकार का दावा अतार्किक लगता है। क्योंकि यह भी एक तथ्य है कि प्रति व्यक्ति औसत आय की गणना में भारत के प्रति व्यक्ति की औसत आय, दुनिया के 142 देशों के बाद 143वें नंबर पर है। यह अर्थव्यवस्था का कैसा विकास है कि बजटीय राशि याने जीडीपी के आंकड़ों में भारत चौथे नंबर पर है परंतु व्यक्तिगत आय में 143वें नंबर पर है। दरअसल अर्थव्यवस्था के विकास का निर्धारण यह होना चाहिये कि देश के प्रति व्यक्ति की औसत आय बढ़े और विषमता कम हो।

दूसरा कथन सरकार का यह है कि 27 करोड़ देश के लोगों को गरीबी की सीमा से ऊपर उठाया है। अगर सरकार की गणना में एक व्यक्ति का तात्पर्य एक परिवार के मुखिया से है तो फिर इसका मतलब होता है कि लगभग 100 करोड़ से अधिक गरीबी की सीमा रेखा से ऊपर आ चुके हैं। परंतु स्वतरू सरकार के अनुसार 95 करोड़ लोग देश में ऐसे हैं जो सरकार की रियायतों और प्रधानमंत्री की बोली में कहा जाये तो रेवड़ियों का लाभ उठा रहे हैं, जिनमें 85 करोड़ लोग 5 किलो ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिमाह मुफ्त अनाज लेने वाले हैं। और 10 करोड़ से अधिक अन्य लाभ यथा लाड़ली बहिना लखपति दीदी आदि। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि सरकार ने पिछले सरकार की तुलना में कोई विकास नहीं किया। मैं मानता हूँ कि सरकार की योजनाओं से देश के एक हिस्से को लाभ पहुँचा है। ग्रामीण रोजगार, प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) के माध्यम से स्वरोजगार के लिये सरकार द्वारा खोले गये हैं और यह योजना विशेषतरू ग्रामीण महिलाओं के लिये बहुत लाभप्रद सिद्ध हुई है। गाँव-गाँव में कुछ एक महिलायें और युवा इन ग्रामीण स्वरोजगार केंद्रों से प्रशिक्षित होकर गांवों में अपने घरों के पास स्वरोजगार कर रहे हैं और यह उन्हें एक बड़ा सहयोग है, इस योजना से बच्चियों की आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास बढ़ा है। ग्रामीण स्तर पर स्वसहायता समूह की शुरुआत तो वैसे 80-90 के दशक में बांग्लादेश में मो. यूनुस ने की थी। बाद में दुनिया के अन्य देशों ने उसे अपनाया। निसंदेह यह योजना भारत में भी ग्रामीण रोजगार पैदा कर रही है और ग्रामीण समाज के लिये आजीविका के लिये लाभप्रद सिद्ध हुई है।

वैसे भी हमारे समाज की खानपान, रहन-सहन और जीवनशैली में जो सांस्कृतिक बदलाव आ रहे हैं। उनने तथा परिवारों के विघटन और नये प्रकार के संयोजन ने नये व्यवसायों को गति दी है। आम लोगों के लिये यह व्यवसाय मध्यमवर्गीय संपन्नता और कभी-कभी उच्चवर्गीय संपन्नता की श्रेणी में ला रहे हैं। जैसे खानपान, होटल रेस्त्रा आदि का चलन तेजी से बढ़ा है और स्थिति यह है कि, संपन्न और अमीर तबका आमतौर पर सप्ताह में 2-3 दिन और मध्यमवर्गीय तबका 1-2 दिन घरों पर खाने की बजाय बाहर होटलों पर खाते हैं। इसी प्रकार रोजगार के लिये गांव से पलायन और शहरों में आवागमन के कारण भी कई करोड़ की आबादी खान-पान के लिये होटलों पर निर्भर है। उच्च मध्यमवर्गीय और मध्यमवर्गी समाज के लिये यह होटलों में खाना उनकी संपन्नता का पर्याय है और गरीबों के लिये लाचारी, परंतु इससे इंकार नहीं कर सकते हैं कि यह होटल और ढाबा कल्चर संस्कृति अब बढ़ते-बढ़ते कस्बों और गांव तक पहुंच रही है। अब यह भी रोजगार करोड़ों लोगों को आमदनी का जरिया है। परंतु जो दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है कि ये रोजगार बढ़े हैं मध्यमवर्ग की संख्या भी बढ़ी है परंतु आय विषमता उससे बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी है।

भारत में जहां प्रति व्यक्ति औसत आय 2.50 लाख रुपये प्रतिवर्ष है, वहीं जापान जो आंकड़ों के मुताबिक दुनिया की अर्थव्यवस्था में चौथे नंबर से घटकर पांचवें नंबर पर पहुँच गया है, क्योंकि जापान की जीडीपी लगभग 32 लाख करोड़ रुपये की है और भारत की लगभग 33 लाख करोड़ रुपये, परंतु जापान के प्रति व्यक्ति की वार्षिक आय 29 लाख है और भारत की 2.50 लाख रुपया। जर्मनी की साढ़े सैंतालीस लाख रुपये और अमेरिका की 76 लाख रुपया प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत आय है। इसलिये आंकड़ों के खेल हाथी के दाँत के समान दिखाने के अलग होते हैं और खाने के अलग होते हैं। विकास का पैमाना जीडीपी को मानना, अमानवीय पैमाना है। वास्तव में पैमाना तो व्यक्ति की आय का होता है और होना भी चाहिये। देश के 105 करोड़ लोग मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह अमीरी का पैमाना नहीं माना जा सकता।

आज से 40 वर्ष पहले जब मोबाइल तकनीक आई थी तब मोबाइल होना अति संपन्नता की निशानी थी। आज 5 किलो सरकारी अनाज लेने वाले के हाथ में भी मोबाइल है बल्कि इस मोबाइल के फैलाव के लिये विकास के बजाय एक प्रकार की तकनीक के नशे का विकास मानना चाहिये। इसका एक और महत्वपूर्ण पक्ष है कि भारत में विषमता तेजी से बढ़ी है। एक तरफ उन अमीरों की संख्या बढ़ी है जो औसतन ढाई सौ से तीन सौ करोड़ रुपये रोज कमा रहे हैं। और दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों में प्रति व्यक्ति आय आज भी मुश्किल से 10 हजार रुपये के आसपास है। इसलिये विषमता को कम करना और आमदनी के अंतर को कम करना यह कसौटी होना चाहिये। परंतु बाजार की ताकतों ने अपने प्रचार के माध्यम से एक नया दर्शन दिया है श्यूज एंड थ्रोय जो भारतीय संस्कृति के प्रतिकूल है। भारतीय संस्कृति उपयोग, संरक्षण और पुनरू उपयोग की रही है जबकि कारपोरेट की संस्कृति उपयोग-दोहन और विनाश की। इस बदलाव से बाजार को लूटने-तिजोड़ी भरने और अपनी संपन्नता बढ़ाने का एक अनंत रास्ता मिल गया है। पहले घर के कपड़े की एक जोड़ी, किताबें, रसोई के बर्तन, कई-कई पीढ़ी चलते थे, यानि जब तक की वे उपयोग होते होते स्वतरू समाप्त न हो जायें, तब तक चलते थे।

अब एक व्यक्ति साल में औसतन 10-20 जोड़ी कपड़े बदल लेता है। जरा भी क्षति होने पर उसे फेंक देता है, शिक्षा की किताबें प्रतिवर्ष बदल जाती है। दवाईयां, कृषि आदि की आयु सीमा तय कर दी गई है, जिसके बाद वे स्वतरू अप्रभावी हो जायेगी। अब सेल्फ टरमेंनेटर बीज आया है, जो अपने आप नष्ट हो जायेगा। देश के पैमाने पर देखें तो खरबों रुपयों की ऐलोपैथी दवाईयाँ अपने आप काल बाह्य हो रही हैं। अगर विषमता को मिटाना है तो बाजार की अनंत लूट पर बंदिश लगानी होगी। यह कानून मात्र से नहीं बल्कि इसमें एक सामाजिक पहल की भी जरूरत होगी।

हमें श्यूज एंड थ्रोय के बजाय यूज-रीयूज-अमेंड एंड यूज्य की संस्कृति को बढ़ाना होगा।

तीसरी बात, जो अमेरिका द्वारा टैरिफ बढ़ाने का कोई प्रभाव नहीं हुआ है यह सरकारी झूठ है। अनेक उद्योगों के क्षेत्र कठिनाईयों में हैं, जो होना स्वाभाविक भी था। मैं इसे अकेले भारत सरकार को जिम्मेदार नहीं मानता हूँ बल्कि अमेरिका आर्थिक साम्राज्यवाद का हमला मानता हूँ। इसका वस्तुपरक आंकलन निकट भविष्य में होगा। अभी हम अपने देश के साथ हैं और रहेंगे, बस इतनी अपील सरकार से करेंगे कि बड़बोलेपन से हालात नहीं बदलते।

कदम माना गया। विशेषज्ञ समिति बनाकर विस्तृत अध्ययन और संवाद के माध्यम से तैयार किया गया UCC मसौदा धामी सरकार की दूरदर्शिता को दर्शाता है।

राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयास

उत्तराखण्ड में निवेश बढ़ाने के लिए सरकार ने कई उद्योग-अनुकूल नीतियाँ लागू कीं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट ने राज्य में हजारों करोड़ के निवेश प्रस्ताव दिलाए, जिसका असर आने वाले वर्षों में रोजगार और उद्योग के रूप में दिखेगा। पर्यटन, फार्मा, आयुष, आईटी और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में निवेश के नए मार्ग खुले। सरकार का फोकस पहाड़ी जिले रहे, जहाँ क्लस्टर आधारित उद्योग और स्थानीय उत्पादों के ब्रांडिंग को प्राथमिकता दी गई।

सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा को नई गति

उत्तराखण्ड में विकास की सबसे बड़ी बाधा हमेशा कठिन भूगोल रहा है। धामी सरकार ने इस चुनौती को स्वीकार करके पहाड़ी जिलों में सड़क नेटवर्क को मजबूत बनाने पर खास जोर दिया। चारधाम सड़क परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार और ग्रामीण सड़कों की मरम्मत इस दिशा में ऐतिहासिक कदम हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में नए मेडिकल कॉलेज, अस्पतालों का उन्नयन और डॉक्टरों की नियुक्तियाँ जनता के लिए बड़ी राहत साबित हुईं। शिक्षा के क्षेत्र में स्मार्ट क्लास, आधुनिक प्रयोगशालाएँ और दूरस्थ क्षेत्रों में उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हैं।

संवेदनशीलता और तत्परता का संयोजन

उत्तराखण्ड की भौगोलिक संवेदनशीलता को देखते हुए धामी सरकार ने आपदा प्रबंधन को मजबूत किया। SDRF की क्षमता और संसाधनों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। संवेदनशील क्षेत्रों में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए गए, जिससे कई स्थानों पर समय रहते चेतावनी देकर नुकसान को कम किया गया। सरकार की प्रतिक्रिया तेज, मानवीय और पारदर्शी रही—यह बात आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्यों ने साबित की।

पलायन रोकने की दिशा में प्रयास

उत्तराखण्ड का सबसे बड़ा दर्द पलायन। धामी सरकार ने इसे केवल समस्या नहीं, बल्कि सुधार का अवसर माना। गाँवों में रोजगार देने वाले उद्योगों, कृषि आधारित नवाचारों और होमस्टे योजनाओं को बढ़ावा दिया गया। इसके परिणामस्वरूप कई क्षेत्रों में लोग वापस अपने गाँवों की ओर लौटते दिखाई दे रहे हैं। इन तीन वर्षों में उत्तराखण्ड ने सुशासन, विकास और निर्णय क्षमता का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। सरकार ने समस्याओं को टालने के बजाय उनका सामना करने की नीति अपनाई। युवाओं का भरोसा मजबूत हुआ, महिलाओं का सम्मान बढ़ा, धार्मिक स्थलों को नई पहचान मिली, आपदा प्रबंधन बेहतर हुआ और गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की शुरुआत हुई। धामी सरकार के ये तीन वर्ष यह संदेश देते हैं कि अगर इच्छाशक्ति हो, तो पहाड़ भी रास्ता बना देते हैं।

बस्तर में शांति, प्रेम, भाईचारा और स्थायी समृद्धि का वातावरण निर्मित हो रहाः मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

(पेज 1 का शेष)

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आत्मसमर्पण का स्वागत करते हुए कहा कि बस्तर की धरती अब पुनः शांति, स्थिरता और विकास की ओर मजबूती से अग्रसर है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों की सतत कार्रवाई, प्रशासनिक समन्वय और सरकार की पुनर्वास-केंद्रित नीतियों के कारण माओवादी हिंसा के खिलाफ निर्णायक सफलता प्राप्त हो रही है।

उन्होंने कहा कि पुलिस, सुरक्षा बल और प्रशासन की समन्वित कोशिशों ने बस्तर में सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया है, जिससे माओवादी हिंसा पर प्रभावी नियंत्रण संभव हुआ है। आज का आत्मसमर्पण इस निरंतर बदलती परिस्थिति और क्षेत्र में विश्वास के वातावरण को दर्शाता है। मुख्यमंत्री साय ने पुनः यह स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति, पूना मारगेम और नियद नेल्ला नार योजना के अंतर्गत हर आत्मसमर्पित व्यक्ति को सुरक्षा, सम्मान और पुनर्वास की पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारी प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि ये योजनाएं बस्तर के सामाजिक ताने-बाने को मजबूती देने और हिंसा की छाया से बाहर निकालने का सशक्त माध्यम हैं। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि बस्तर में जारी यह सकारात्मक परिवर्तन आगे भी जारी रहेगा और क्षेत्र स्थायी शांति, विकास, रोजगार, शिक्षा एवं सामाजिक समरसता की नई पहचान बनाएगा।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। संपादक : विजया पाठक।
RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)